Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Appeal (Revision) No.- 06/2023

Nasara Khatoon ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	03.08.2023	**आदेश** प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील (पुनरीक्षण) वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार के आँगनबाड़ी अपील वाद सं0–05/2022 में दिनांक 10.12.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु एक पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी आँगनबाड़ी केन्द्र सं0–07, पीर मोकाम, मस्लिम टोला, परियोजना, फलका में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फलका के ज्ञापांक–238 दिनांक–19.12.1998 द्वारा सेविका पद पर पदस्थापित थी। अपीलार्थी बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना अंतर्गत मदरसा आलिया दारूल कुरान, दरभंगिया टोला, फारबिसगंज, अररिया से वर्ष 1992 में फोकानिया उत्तीर्ण है। इनका Roll No.- ARR0247 पंजीयन सं0–POR3890/1990 है। इन्हें कुल 652 अंक प्राप्त है। सेविका चयन के समय इनके द्वारा समर्पित दिनांक–28.06.1994 का मूल अंक–पत्र में पिता का नाम मो0 नइमुद्दीन अंसारी दर्ज है। चयन पश्चात् ये अपने कर्त्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रही थी। उक्त पंचायत के वार्ड सं0–06 के सदस्य फारूख आजम अंसारी द्वारा षड़यंत्र एवं शत्रुतावश उक्त विद्यालय के प्रधान मौलवी को मेल में लेकर इनकी फोकानिया के द्वितीयक अंक–पत्र प्राप्त किया गया जिसमें पिता का नाम मो0 नइमुद्दीन अंसारी की जगह मो0 नइम अंसारी एवं कुल प्राप्तांक–648 दर्ज है। पुनः प्रधान मौलवी द्वारा उक्त द्वितीयक अंक–पत्र प्राप्त किया गया जिसमें कुल प्राप्तांक–652 एवं पिता का नाम मो0 नईमुद्दीन अंसारी अंकित है। इस संबंध में इनके द्वारा RTI के माध्यम से उक्त बोर्ड से यह सूचना प्राप्त की गई कि अपीलार्थी का द्वितीय अंक–पत्र जो वर्ष 2004 एवं 2021 में निर्गत है में से कौन सही है। लोक सूचना पदाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पूर्णिया ने पत्रांक–48 दिनांक–11.06.2022 द्वारा सूचित किया कि वर्ष 2021 में निर्गत द्वितीयक प्रति सही है तथा वर्ष 2004 में निकाली गई अंक–पत्र गलत है। उक्त के आलोक में वार्ड सं0–06 के वार्ड सदस्य द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फलका के समक्ष परिवाद पत्र समर्पित किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार ने पत्रांक–1332 दिनांक–25.10.2022 एवं पत्रांक–1365 दिनांक–07.11.2022 द्वारा इनके अंक–पत्र का बोर्ड से सत्यापन की माँग की जिसमें उप परीक्षा नियंत्रक, क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने	

Web Copy, Not Official.

		पत्रांक–84 दिनांक–04.11.2022 द्वारा स्पष्ट किया कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार अपीलार्थी के पिता का नाम मो0 नइमुद्दीन अंसारी कुल अंक–652 दर्ज है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फलका द्वारा इनके क्रमशः	
	लगातार 03.08.2023	जाली शैक्षणिक प्रमाण–पत्र का हवाला देते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार से चयनमुक्ति की अनुशंसा की गई। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार ने तथ्यों पर बिना विचार किये दिनांक–10.12.2022 को इन्हें चयनमुक्त कर दिया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। मदरसा आलिया दारूल कुरान के प्रधान मौलवी द्वारा वर्ष 2004 में मदरसा शिक्षा बोर्ड से अपीलार्थी का अंकपत्र प्राप्त किया गया एवं पुनः उनके द्वारा दूसरा अंक प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया, तत्पश्चात् क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पूर्णिया द्वारा सत्यापन कराने से अपीलार्थी के प्रति स्पष्टतः दुर्भावना परिलक्षित होता है। यह कृत्य अपीलार्थी के विरूद्ध गलत आरोप गठित करने के नियत से किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा इसपर विचार नहीं किया गया कि अपीलार्थी द्वारा कम अंकों वाला प्रमाण पत्र क्यों समर्पित किया जायेगा, जबकि ये वर्ष 1998 से सेविका पद पर कार्यरत है। दिनांक–28.06.1994 का निर्गत अंक प्रमाण पत्र एवं उसमें अंकित पिता का नाम ही सही है जिसके आधार पर इनका चयन किया गया था। अन्य अंक पत्र शत्रुतावश और इन्हें सेवा से मुक्त करने के लिए षड़यंत्रवश जाली तैयार किया गया है। जिसपर निम्न न्यायालय द्वारा गलत तरीके से उनके कथनों पर विश्वास करते हुए आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा सेविका पद के चयन हेतु अपीलार्थी की ओर से समर्पित आवेदन एवं संलग्न विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र का सत्यापन न कर तथ्यों से परे एवं अवैध आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं है। दूसरी तरफ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार ने ज्ञापांक 748 दिनांक–06.05.2023 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फलका द्वारा पत्रांक 16 दिनांक–05.01.2022 के माध्यम से प्रश्नगत केन्द्र की चयनित सेविका नसरा खातुन के विरूद्ध चयनमुक्ति अनुशंसा के आलोक में उक्त वाद संधारित करते हुए उभय पक्षों की सुनवाई की गई। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फलका द्वारा अपीलार्थी के सेविका चयन हेतु आवेदन के साथ संलग्न शैक्षणिक प्रमाण पत्र के जाँचोपरांत फर्जी बताये जाने के आधार पर चयनमुक्ति की अनुशंसा की गई। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पूर्णिया से सूचना के अधिकार अंतर्गत निर्गत पत्रांक 48 दिनांक–11.06.2022 की प्रति उपलब्ध कराई गई। जिसमें सूचित किया गया है कि वर्ष 2004 में निकाली गई अंक पत्र गलत है एवं वर्ष 2021 में निकाली गई अंक पत्र सही है। उप परीक्षा नियंत्रक, क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पूर्णिया के पत्रांक 84 दिनांक–04.01.2022 के प्रतिवेदनानुसार अपीलार्थी के पिता का नाम अभिलेख में मो0 नजामउद्दीन अंसारी एवं कुल प्राप्तांक–652 है तथा विषयवार प्राप्तांक मेल नहीं खाते हैं। वर्ष 2004 में निर्गत अंक पत्र में No. कॉलम के आगे कोई संख्या दर्ज नहीं है जबकि इनके 652 अंकों के मूल प्रमाण	

Web Copy. Not Official.

		पत्र में No. 115/द्वितीय प्रति में M.S. No. 7348 अंकित है और दिनांक–27.02.2004 को निर्गत अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र में भी सभी विषयों में अंक आपस में भिन्न है। अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। फलतः इनके विरूद्ध चयनमुक्ति का आदेश पारित किया गया है, जो सही है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि बाल विकास परियोजना फलका अंतर्गत पंचायत–पीरमोकाम, आँगनबाड़ी क्रमशः	
	लगातार 03.08.2023	केन्द्र–पीरमोकाम, मुस्लिम टोला, केन्द्र सं0–07 में अपीलार्थी वर्ष 1998 में विधिवत् सेविका पद पर चयनित होते हुए अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रही थी। लगभग 24 वर्षों बाद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फलका ने पत्रांक–16 दिनांक–05.01.2022 द्वारा अपीलार्थी के बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से उत्तीर्ण फोकानिया के शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी पाये जाने के आधार पर इन्हें सेविका पद से चयनमुक्ति की अनुशंसा की गई। जिसके आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध चयनमुक्ति का आदेश पारित किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार द्वारा समर्पित मंतव्य प्रतिवेदन की कंड़िका–6 में यथा उल्लिखित–''उल्लेखनीय है कि इनके वर्ष 2004 के निर्गत अंक प्रमाण पत्र में No. कॉलम के आगे कोई भी संख्या दर्ज नहीं है, जबकि इनके 652 अंकों के अन्य मूल प्रमाण पत्र में No. 115/द्वितीय प्रति में M.S.No.7348 अंकित है। साथ ही स्पष्ट करना है कि दिनांक–27.02.2004 को निर्गत इनके अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र में सभी विषयों में अंक आपस में काफी भिन्न है।'' क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पूर्णिया के लोक सूचना पदाधिकारी ने पत्रांक–48 दिनांक–11.06.22 द्वारा सूचित किया है कि वर्ष 2004 में निकाली गई अंक पत्र गलत है, जबकि वर्ष 2021 में निकाली गई अंक पत्र द्वितीय प्रति सही है। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि यही अंक पत्र आवेदन के समय संलग्न किया गया था। अपीलार्थी वर्ष 1994 में फोकानिया उत्तीर्ण की है जिसमें कुल प्राप्तांक 652 अंकित है जो वर्ष 2021 में निर्गत सूचना के समरूप है एवं वर्ष 2004 में निर्गत सूचना के आलोक में अपीलार्थी का कुल प्राप्तांक 648 दर्शाया गया है तो यह तथ्य समझ से परे है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कम अंकों का प्रमाण पत्र क्यों संलग्न किया जायेगा। इससे यह परिलक्षित होता है कि मामले को मात्र अनावश्यक रूप से उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त से इसकी भी पुष्टि होती है कि इनके पिता का नाम मो0 नईमुद्दीन अंसारी हीं है और अपीलार्थी के पिता मो0 नईमुद्दीन अंसारी द्वारा भी इस आशय का शपथ पत्र समर्पित किया गया है जिससे अपीलार्थी के दावे को बल मिलता है। पत्रांक–84 दिनांक–04.11.2022 को निर्गत सूचना में वर्ष 2004 की सूचना की पुनरावृत्ति मात्र है जिसे बोर्ड द्वारा गलत करार दिया गया है। इसी आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसे सही नहीं माना जा सकता है। अतः उपर्युक्त के आलोक में अपीलार्थी के पक्ष में निर्गत वर्ष 2021 की सूचना की मान्यता देते हुए निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत् एवं	

Web Copy. Not Official.

		न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी को उक्त केन्द्र पर पुनः सेविका पद पर बहाल करने का आदेश दिया जाता है। चयनमुक्ति अवधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार का मानदेय भुगतान नहीं किया जायेगा। अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.